

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी. सिविल याचिका संख्या 20834/2019 श्रीमती ज्योत्सना शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.2020 द्वारा श्रीमती ज्योत्सना शर्मा स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य, (राउमावि बामन बड़ौदा, गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर से राउमावि कुनवारिया जिला राजसमन्द) की याचिका को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अन्तिम रूप से खारिज कर दिये जाने के फलस्वरूप श्रीमती ज्योत्सना शर्मा, प्रधानाचार्य को आदेशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि कुनवारिया जिला राजसमन्द में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) 1958 के नियम-17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।



(सौरम स्वामी)

आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा./संस्था/बी-2/एसबीसिया/20834/2019 दिनांक: 17/01/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर/उदयपुर संभाग, भरतपुर/उदयपुर।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सवाईमाधोपुर/राजसमन्द।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक) सवाईमाधोपुर/राजसमन्द।
7. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे श्रीमती ज्योत्सना शर्मा के स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध सी.सी.ए. 17 नियमान्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव तीन दिवस के भीतर इस कार्यालय के प्राथमिक जांच अनुभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)